... द्वारा अपने द्वारा जोड़े गये निर्माण कार्य सुधार सकता है।

All Transactions:-

वह आवेदक द्वारा पुनः अपने द्वारा भुगतान किये गये सभी ट्रांजेक्शन का विवरण देख सकता है।

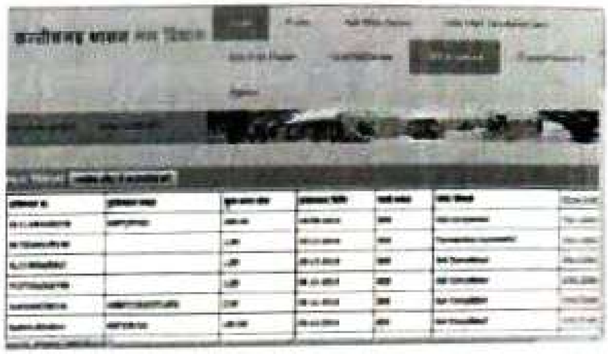

http://cg.nic.in/labour/payonline/OnlineCessSearch.aspx

वह लिंक द्वारा पुनः अपने द्वारा किये गये ट्रांजेक्शन बैंक का ट्रांजेक्शन स्थिति देख सकता है।

छत्तीसगढ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल

पता–सेक्टर 24 आफिस काम्प्लेक्स ब्लाक ए प्रथम तल अटल नगर, नवा रायपुर
ई–मेल–Secretaryboc@gmail.com फोन नंबर–0771–2971063

क/02/बीओसी/उपकर/2023/1684 दिनांक– 12/07/2023

प्रति

1. संचालक,नगर तथा ग्राम निवेश विभाग,नवा रायपुर,
2. आयुक्त, गृह निर्माण मंडल छत्तीसगढ नवा रायपुर,
3. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण,
4. आयुक्त, नगर पलिका निगम,
5. मुख्य नगर पालिका अधिकारी,नगर पालिका परिषद,
6. मुख्य कार्यपालन अधिकारी,जिला पंचायत,
7. मुख्य कार्यपालन अधिकारी,जनपद पंचायत,
8. संयुक्त संचालक/उप संचालक/सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश

जिला–समस्त (छत्तीसगढ)

विषयः– भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर जमा करने के संबध में।

संदर्भः– सचिव श्रम छत्तीसगढ शासन का पत्र कमांक–1755/1872/2021/16 नवा रायपुर दिनांक–05.07.2023।

—000—

विषयांतर्गत अनुरोध है कि भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम 1996 के तहत् **निजी एवं व्यवसायिक निर्माण कार्यों** हेतु में शहरी क्षेत्र के निर्माण कार्यों के लिए लोक निर्माण विभाग के वर्तमान में प्रचलित मानक दर **(S.O.R.)** तथा ग्रामीण क्षेत्रों के निर्माण कार्यो के लिये ग्रामीण यांत्रिकी सेवा के मानक दर **(S.O.R.)** के आधार पर निर्माण प्राक्कलन की गणना किये जाने का निर्णय पूर्व में लिया गया था।

02/ वर्तमान में छत्तीसगढ शासन, श्रम विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर के पत्र कमांक–1755/1872/2021/16 दिनांक–05.07.2023 द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि "निजी एवं व्यवसायिक निर्माण के अनुमति प्रदाय करते समय संबंधित अनुज्ञा अधिकारी उपरोक्तानुसार **निजी आवास निर्माण कार्य की लागत रूपये 1200/– प्रति वर्गफीट एवं किसी भी व्यवसायिक निर्माण की लागत रूपये 1400/– प्रति वर्गफीट की दर अथवा वास्तविक लागत जो अधिक हो के आधार पर कुल लागत की गणना** की जाकर 01 प्रतिशत उपकर की राशि अनुज्ञा जारी करने के पूर्व जमा करवाये जाने के पश्चात् ही अनुज्ञा जारी करने का कष्ट करेंगे।

03/ आपके विभाग के अंतर्गत शासकीय निर्माण कार्य की कुल निर्माण लागत का 01 प्रतिशत उपकर कटौति किया जाना बाध्यकारी है। नियोजक का यह दायित्व है कि कुल निर्माण लागत का निर्माण एंजेसी ठेकेदारों को भुगतान करते समय 01 प्रतिशत की कटौती की जाकर छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल को ऑनलाईन पेमेंट गेटवे में हस्तांतरित करने का कष्ट करें।

अतः कटौति की गई उपकर की राशि को 30 दिवस के भीतर छ0ग0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल को, मंडल के वेबसाईट **cglabour.nic.in** में पेमेंट गेटवे के माध्यम से ऑनलाईन जमा कराने का कष्ट करें।

(श्रीमती सविता मिश्रा)
सचिव,
छत्तीसगढ भवन एवं अन्य सन्निर्माण
कर्मकार कल्याण मंडल

संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश
नवा रायपुर, अटल नगर,रायपुर (छ.ग.)
दिनांक
14 JUL 2023

अतः उपरोक्तानुसार वर्तमान प्रचलित उपकर के दर के स्थान पर शासकीय निर्माण कराते समय नियोजक का यह दायित्व है कि निर्माण कार्य के भुगतान करते समय 01 प्रतिशत की कटौती की जाकर छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल को हस्तांतरित करने का कष्ट करें तथा निजी एवं व्यवसायिक निर्माण के अनुमति प्रदाय करते समय संबंधित अनुज्ञा अधिकारी उपरोक्तानुसार **(निजी आवास निर्माण कार्य की लागत रूपये 1200/- प्रति वर्गफीट एवं किसी भी व्यवसायिक निर्माण की लागत रूपये 1400/- प्रति वर्गफीट की दर)** कुल लागत की गणना की जाकर 01 प्रतिशत उपकर की राशि अनुज्ञा जारी करने के पूर्व जमा करवाये जाने के पश्चात् ही अनुज्ञा जारी करने का कष्ट करेंगे तथा जमा कराई गयी उपकर की राशि को 30 दिवस के भीतर छ0ग0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल को, मंडल के वेबसाईट **cglabour.nic.in** में पेमेंट गेटवे के माध्यम से ऑनलाईन जमा कराना सुनिश्चित करें।

(अमृत कुमार खलखो)
सचिव
छत्तीसगढ़ शासन,श्रम विभाग

o/c

पृ0क्रमांक / 1756 /1872/2021/16 **नवा रायपुर अटल नगर,दिनांक 5/7/23**

प्रतिलिपि :-

1. विशेष सहायक, माननीय मंत्री, श्रम एवं नगरीय प्रशासन विकास विभाग, छत्तीसगढ शासन, महानदी भवन, अटल नगर, नवा रायपुर,
2. निज सहायक, मा0 अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल, सेक्टर-24, ऑफिस काम्प्लेक्स, अटल नगर नवा रायपुर,
3. निज सहायक, मा0 अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ श्रम कल्याण मंडल, न्यू शांति नगर, रायपुर,
4. श्रमायुक्त, श्रमायुक्त कार्यालय, इंद्रावती भवन, अटल नगर नवा रायपुर,
5. नोडल अधिकारी, छ0ग0 राज्य असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल, इंद्रावती भवन, अटल नगर नवा रायपुर,
6. कल्याण आयुक्त, श्रम कल्याण मंडल, न्यू शांति नगर, रायपुर,
7. संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा, इंद्रावती भवन, अटल नगर नवा रायपुर,
8. समस्त सहायक श्रमायुक्त/श्रम पदाधिकारी सह उपकर निर्धारण अधिकारी
9. समस्त उप संचालक/सहायक संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा,
10. N.I.C शाखा प्रभारी, छ0ग0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल की ओर वेबसाईट में अपलोड करने हेतु।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

सचिव
छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग

o/c

छत्तीसगढ़ शासन
श्रम विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन
नवा रायपुर, अटल नगर

क्रमांक 1755/1872/2021/16 नवा रायपुर अटल नगर,दिनांक 5/7/23

प्रति,

शासन के समस्त विभाग
अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव/विशेष सचिव
समस्त विभागाध्यक्ष/मुख्य कार्यपालन अधिकारी/संचालक/
महाप्रबंधक/कुलपति/संभाग आयुक्त/कलेक्टर/पुलिस अधीक्षक/
मुख्य कार्यपालन अधिकारी (पंचायत)/उप संचालक, नगर तथा
ग्राम निवेश/सर्व कार्यालय प्रमुख/कोषालय अधिकारी,
जिला–समस्त (छत्तीसगढ़)

विषय :– **भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम, 1996 के तहत् उपकर के संबंध में।**

––––00––––

विषयांतर्गत भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम, 1996 की धारा 3 (2) सहपठित नियम 1998 के नियम–03 के अनुसार प्रत्येक सन्निर्माण कार्य की कुल लागत का 01 प्रतिशत (भूमि की लागत को छोड़कर) भारत सरकार के अधिसूचना कमांक 2899, दिनांक 26.09.1996 अनुसार उपकर के रूप में श्रम विभाग के छ0ग0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल द्वारा लिया जाना प्रावधानित है, जिसके परिपालन में विभागीय पत्र क्रमांक 2832/1872/2021/16, नवा रायपुर, दिनांक 27.11.2021 के द्वारा निजी एवं व्यवसायिक निर्माण कार्यों हेतु अनुमानित निर्माण लागत सीमा में संशोधन करते हुए शहरी क्षेत्र के निर्माण कार्यों के लिए लोक निर्माण विभाग के वर्तमान में प्रचलित मानक दर **(S.O.R.)** तथा ग्रामीण क्षेत्रों के निर्माण कार्यो के लिये ग्रामीण यांत्रिकी सेवा के मानक दर **(S.O.R.)** के आधार पर निर्माण प्राक्कलन की गणना किये जाने का निर्णय लिया गया था।

छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल के 19 वी बैठक दिनांक 19.04.2023 के एजेण्डा विन्दु क्रमांक 19.14 में लिए गये निर्णय निर्णय अनुसार किसी भी निजी आवास निर्माण कार्य की लागत रूपये 1200/– प्रति वर्गफीट एवं किसी भी व्यवसायिक निर्माण की लागत रूपये 1400/– प्रति वर्गफीट की दर से मान्य करते हुए उपकर की गणना किये जाने का निर्णय लिया गया है तथा शासकीय निर्माण कार्य में वास्तविक लागत का 01 प्रतिशत उपकर संग्रहण किया जाना निर्धारित किया गया है।

आवक क्र. 1870
दिनांक 11/07/23

o/c

स्थापना/लेखा/उपकर/योजना/पंजीयन/समन्वय/भंडार/विधि/शिकायत/एसआईसी/आरटीआई/अपील/स्टेनो

दिनांक 11/07/23 लेखाधिकारी/सचिव

निरंतर...2..

क्र0/02/बीओसी/उपकर/2022/1685 दिनांक– 12/07/2023.

प्रतिलिपिः–

1. सचिव, श्रम विभाग, छत्तीसगढ शासन महानदी भवन अटल नगर नवा रायपुर छत्तीसगढ की सादर सूचनार्थ संप्रेषित।
2. सचिव,आवास एवं पर्यावरण विभाग, छत्तीसगढ शासन महानदी भवन अटल नगर नवा रायपुर छत्तीसगढ की सादर सूचनार्थ संप्रेषित।
3. सचिव नगरीय प्रशासन एवं विकास, छत्तीसगढ शासन महानदी भवन अटल नगर नवा रायपुर छत्तीसगढ की सादर सूचनार्थ संप्रेषित।
4. सचिव पंयायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, छत्तीसगढ शासन महानदी भवन अटल नगर नवा रायपुर छत्तीसगढ की सादर सूचनार्थ संप्रेषित।
5. संचालक नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग, छत्तीसगढ इंद्रावती भवन अटल नगर नवा रायपुर छत्तीसगढ की सादर सूचनार्थ संप्रेषित।
6. समस्त सहायक श्रमायुक्त/श्रम पदाधिकारी सह उपकर निर्धारण अधिकारी छत्तीसगढ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार,कल्याण मंडल की ओर सूचनार्थ संप्रेषित।

सचिव,

छत्तीसगढ भवन एवं अन्य सन्निर्माण

कर्मकार कल्याण मंडल

Pay cess/उपकर भुगतान करें

Pay cess टैब पर क्लिक करने से यूजर को अपने सभी कार्यों का [illegible] होगा। तत्पश्चात यूजर जिस कार्य के लिये उपकर का भुगतान करना चाहता है उस कार्य के सामने दिये गये राशी वाले बाक्स में उपकर राशी अंकित करना होगा।

राशी अंकित करने के पश्चात "Pay Total Cess" बटन पे क्लिक करना होगा।

Pay Total Cess बटन पे क्लिक करने के बाद यूजर को उपकर राशी भुगतान करने हेतु दो ऑप्शन दिखाई देंगे

1 क्रेडिट डेबिट कार्ड

2 चालान फार्म

क्रेडिट डेबिट कार्ड क्लिक करने पे यूजर बैंक की वेबसाइट में जा उपकर राशी का ऑनलाईन भुगतान कर कर विभाग द्वारा जारी पावती प्राप्त कर सकेगा।

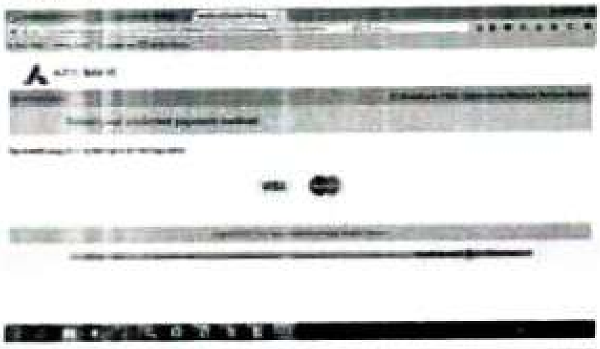

चालान फार्म वाले ऑप्शन पे क्लिक करने पे यूजर के समक्ष विभाग द्वारा एक चालान फार्म जनरेट होगा

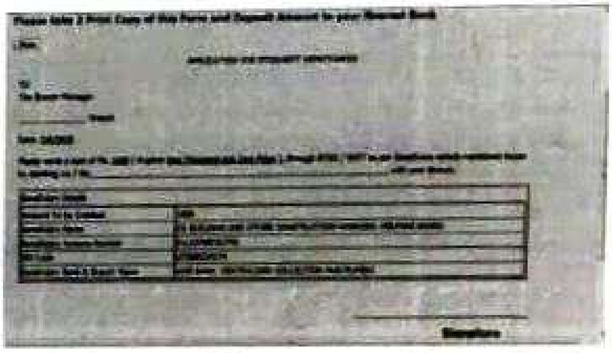

यूजर को प्रत्येक ट्रांजेक्शन के लिये नया चालान का उपयोग करना अनिवार्य है क्योंकी ROC का अकाउंट क्रमांक जो की चालान फार्म में अंकित है वह अकाउंट क्रमांक प्रत्येक चालान में नया जनरेट होगा ।

यूजर को यह चालान फार्म अपने चेक के साथ बैंक में जमा करना होगा।

उपकर भुगतान मार्गदर्शिका

रजिस्ट्रेशन :

उपकर राशि भुगतान करने हेतु यूजर को पहले श्रम विभाग की वेबसाईट से जा के रजिस्ट्रेशन कर अपना आई.डी., पासवर्ड लेना होगा ।

उपकर राशि भुगतान करने हेतु सदस्य के प्रकार :- सरकारी संस्था, व्यावसायिक संस्था, निजी संस्था ।

सरकारी संस्था चुनने पे नियोजक को अपना नाम नियोजक की लिस्ट से ही चुनना होगा।

व्यावसायिक संस्था चुनने पे यूजर को अपना ROC द्वारा दिया गया रजिस्ट्रेशन क्रमांक अंकित करना होगा।

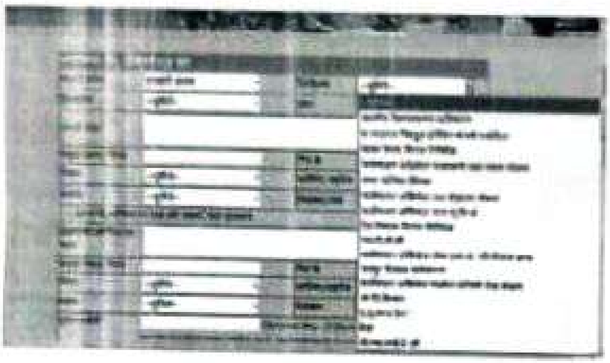

निर्माण कार्य जोड़ें :-

लॉगिन होने के पश्चात यूजर को स्वयं द्वारा किये गये निर्माण कार्य का विवरण देना होगा ।

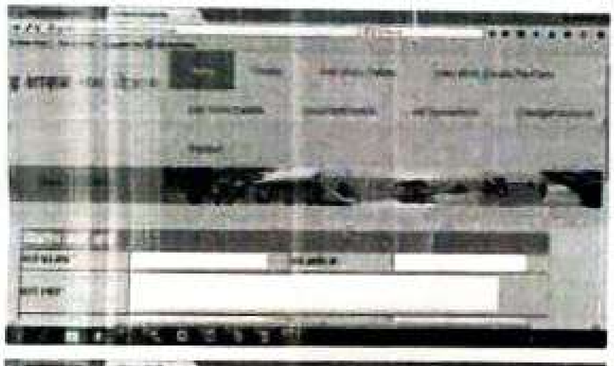

लॉगिन :

सफलतापूर्वक रजिस्ट्रेशन करने के पश्चात यूजर को लॉगिन करने से जा के अपना आई.डी., पासवर्ड का उपयोग कर लॉगिन करना होगा।